निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 206 / 2023(पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र)

1. गुल्लाराम कुम्हार पुत्र श्री लादूराम कुम्हार जाति कुम्हार,
2. लालाराम पुत्र लादूराम जाति कुम्हार
3. मोहन लाल पुत्र लादूराम जाति कुम्हार
4. हरिनारायण पुत्र लादूराम जाति कुम्हार
5. श्रीमती चैनसुख देवी पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश जाति कुम्हार
6. जीतू पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश जाति कुम्हार
7. अभिषेक पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश जाति कुम्हार
8. अक्षिता पुत्री स्व. श्री ओम प्रकाश जाति कुम्हार नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती चैनसुख देवी
9. छोटूराम पुत्र गोपाल लाल जाति कुम्हार
10. श्रीमती नंदी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री चौथूराम जाति कुम्हार
11. शंकर लाल पुत्र चौथूराम जाति कुम्हार
12. सीताराम पुत्र चौथूराम जाति कुम्हार

समस्त निवासी ग्राम निमेडा, मुण्डियारामसर रोड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।

13. कपिल अग्रवाल पुत्र रामजीलाल अग्रवाल
14. रामजीलाल अग्रवाल पुत्र वंशीधर अग्रवाल
15. हेमन्त अग्रवाल पुत्र रामजीलाल अग्रवाल

निवासी मकान नम्बर डी–263, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर। हाल निवासी 23, उद्यान पथ राजेन्द्र नगर, वैशाली नगर, जयपुर ।

16. खुशबू पुत्री किशन लाल
17. चन्द्र प्रकाश पुत्र किशन लाल
18. सूरज पुत्र किशन लाल

निवासी प्लाट नम्बर 67, गणेश नगर –5, रेनबो स्कूल के सामने, नाचढा, सीकर रोड, जयपुर ।

19. विदाम देवी पुत्री लादूराम निवासी ग्राम पोस्ट मूण्डोत, वाया कालवाड जिला जयपुर।
20. मन्ना पुत्री गोपाल लाल निवासी जावड, पोस्ट गूंदी वाया रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर ।
21. सम्पत्ति पुत्री गोपाल लाल निवासी प्लाट नम्बर 51, सावा की बगीची, बालाजी विहार कालोनी, बगरू, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मीणा आर.एस.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ।
3. मैसर्स विनायक एन्टर प्राईजेज प्लाट नम्बर 21, गुल मोहर लेन, सिरसी रोड, जयपुर जरिये भागीदार श्री जगदीश साहू पुत्र श्री के॰ आर॰ साहू ।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2023 उनवानी मैसर्स विनायक एन्टर प्राईजेज बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री शिव सिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 51/2023 उनवानी मैसर्स विनायक एन्टरप्राईजेज बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री शिव सिंह चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम नीमेडा तहसील व जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 16/594 रकबा 0.7082 हैक्टेयर भूमि जिसका राजस्व नक्शे में रकबा 0.7082 के स्थान पर 0.2656 का पैमूद होने से केवल उक्त खसरा नम्बर के नक्शे में दुरस्त करवाने बाबत अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुये पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया गया कि राजस्व नक्शा में दुरूस्ती बाबत अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जिन काश्तकारों से भूमि खरीदी है

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उक्त काश्तकारों की शेष भूमि तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान की भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुरूप नक्शा ट्रेस की भूमि का मिलान किया जाकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार नक्शा ट्रेस बनवाया जावे, जिसके लिए उक्त सभी पडौसी काश्तकारों के खसरा नम्बर की भी मौका रिपोर्ट मंगवायी जावे जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष सारणी के साथ खसरा नम्बर भी वर्णित किये गये है एवं बताया गया है कि अप्रार्थी संख्या 3 को भूमि विक्रय करने वाले खातेदारों के नक्शे के लगभग 2 बीघा भूमि अधिक है। अप्रार्थी संख्या 3 बड़ी कम्पनी है जिसके व्यक्तियों का पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आना–जाना लगा रहता है तथा प्रकरण संख्या 51/2023 की सुनवाई डेस्क पर नहीं की जाकर चैम्बर से ही पत्रावली में आदेश होकर निकलते है । अप्रार्थी संख्या 3 के व्यक्तियों द्वारा पीठासीन अधिकारी को कम्पनी के लोगों के केवल 1 खसरा नम्बर की रिपोर्ट मंगवायी जाने व खसरे नक्शा दुरूस्त करवाये जाने के लिए पैसे पहुंचाने, अप्रार्थीगण को परेशान करने तथा ऊपर तक की स्थिति संभालने की वार्ता करते सुना। अप्रार्थी संख्या 3 के व्यक्तियों द्वारा किये गये कथनों के अनुसार ही पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को धमकाया जाता है। रीडर द्वारा भी तारीखें नहीं बतायी जाती है । कॉज लिस्ट में तारीख नहीं लिखी जाती। पत्रावली में आदेश कर दिये जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण के साथ किये जा रहे बर्ताव से भी प्रतीत हो रहा है कि केवल कम्पनी के लोगों का फेवर कर रहे है तथा प्रार्थीगण के साथ न्याय करने के इच्छुक नहीं है जिससे प्रार्थीगण के साथ अन्याय होने की प्रबल सम्भावना है। इसलिए उक्त पत्रावली को अन्यत्र जयपुर के क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष अंतरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने काल्पनिक एवं झूठे कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थीगण को परेशान करने के उद्वेश्य से बड़ी बड़ी तारीख पेशी लेने की कोशिश में रहते है तथा मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रार्थी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2023 व उनवानी मैसर्स विनायक एन्टरप्राईजेज व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 22.01.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर